

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2015—वैशाख 25, शक 1937

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2015

एफ 19-5-2015-बारह-2.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10) की धारा 9 ब की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश के उन जिलों में, जो कि खनन संबंधी संक्रियाओं से प्रभावित हों, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट स्थापित करती है.

No. F-19-5-2015-XII-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (No. 10 of 2015), the State Government, hereby establish a District Mineral Foundation Trust in the districts of Madhya Pradesh which are affected by mining related operations.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण राठी, उपसचिव.